99

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / २०१४ अपील अपील-1598-III-14

प्रस्तुत कर्ता अभिभाषक, अपील 26-5-14

26-5-14

१- हरप्रीत सिंह / नाबालिग पुत्रगण
२- बलहार कन सिंह / करनैल सिंह
वसरपरस्त मां स्वयं दलजीत कौर पत्नी करनैल सिंह
निवासी ग्राम धुवानी तहसील व जिला शिवपुरी,
मध्यप्रदेश ।

-------- अपीलान्टस्

विरुद्ध

23/5/14

मध्यप्रदेश शासन -------- रिस्पोन्डेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग,
दिनांक २४।४।१३ अन्तर्गत धारा ४४ (२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,
१९५९।प्र०क्र० ५६०।११-१२-अपील ।

श्रीमान् जी,

अपील का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया ।

४- यह कि, अपर आयुक्त महोदय का आदेश स्वयं बोलता हुआ आदेश न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

५- यह कि, भूमियां नाबालिगान के नाम से अंकित होने से उनके प्राकृतिक संरक्षक व्दारा सही तौर पर विक्रय की अनुमति

क्रमशः:--२

व्दारा अभिभाषक
वादे- अपीलान्टस्

स०/. 1598. III/14

हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इसे कानूनन क्यों नहीं माना जाना चाहिये, का कोई वैधानिक कारण विवादित आदेश में अंकित नहीं है । यदि अधीनस्थ न्यायालय के मत में किसी सक्षम न्यायालय से अनुमति आवश्यक थी तब एतद् विषयक निर्देश देना चाहिये था ।

६- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने उन परिस्थितियों पर समुचित विचार ही नहीं किया जिनके अधीन अपीलान्टस् की ओर से विक्रय की अनुमति चाही गई थी ।

७- यह कि, उच्च शिक्षा हेतु विक्रय की अनुमति दी जाना आज की वर्तमान परिस्थितियों में एक समाधान कारक कारण है ।

८- यह कि, विक्रय की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र में प्राकृतिक संरक्षक संरक्षक की वृध्दावस्था का कारण भी अंकित किया गया है जिस पर कोई विचार ही नहीं किया गया है ।

९- यह कि, संरक्षक को नाबालिग के हित में कार्यवाही करने का कानूनन अधिकार प्राप्त है ।

१०- यह कि, शेष आपत्तियां समक्ष में निवेदन की जावेंगी ।

११- यह कि, अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में कार्यवाही के दौरान संरक्षक करनैल सिंह की मृत्यु दिनांक २६-७-१२ को हो जाने से वर्तमान संरक्षक व्दारा जानकारी दिनांक ६-३-१४ के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है ।

अस्तु अपील का यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाऐं निरस्त की जाकर अपीलान्टस् को विवादित भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने की कृपा की जावे ।

इति दिनांक:- ।०५।२०१४

प्रार्थीगण
हरप्रीत सिंह आदि- अपीलान्टस्
व्दारा अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1598/तीन/2014 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.12.16	यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 560/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44(2) (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन पत्र किया। कि ग्राम धुआनी में स्थित भूमि सर्वे नं. 20 मिन-1 रकवा 2.77 है0 एवं सर्वे नं. 5 मिन-1 रकवा 1.65 है0 कुल रकवा 4.42 है0 कि विक्रय अनुमति दी जाये। क्योंकि वह कृषि करने में असमर्थ है तथा बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु शहर में रहना चाहते है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र आदेश दिनांक 26.03.2012 से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। 3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के	

अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमियॉ नाबालिगान के नाम अंकित होने से उनके प्राकृतिक सरक्षंक द्वारा सही तौर पर विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसे कानून क्यों नही माना जाना चाहिये इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में क्यों निष्कर्ष नहीं दिये है और न ही इस संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार ही किया गया। भूमि को विक्रय किये जाने का मुख्य कारण कृषि करने में असमर्थ होने से तथा बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु शहर में जाने का बताया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया है, और जो आदेश पारित किये है। वह विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाये एवं वर्तमान अपील स्वीकार किये जाने तथा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है उसे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाये। तथा वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो

के अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 27.04.1971 को जारी किया गया था। तब से उनके द्वारा उपरोक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया है। तथा वह निरन्तर कास्त कर रहे है, अपीलार्थी द्वारा भूमि को विक्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर दिया गया है, कि वह कृषि कार्य में असमर्थ है एवं बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु रूपयों की आवश्यकता है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विधिवत् विचार नहीं किया है, संहिता की धारा 158 (3) में संशोधन अधिनियम क्रमांक 17/1992 (म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 28.अक्टूबर. 1992) द्वारा अन्तः स्थापित उपधारा 3 का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति जो राज सरकार से या कलेक्टर से या आवंटन अधिकारी संशोधन अधिनियम क्रमांक 17/1992 के प्रारंभ दिनांक 28.अक्टूबर.1992 पर किया इस दिनांक 28.अक्टूबर. 1992 के पूर्व मंजूर किये गये पट्टे के आधार भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है। ऐसे प्रारंभ की तारीख 28.अक्टूबर.1992 ऐसे भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जायेगा।

अ- ऐसा पट्टेदार जिसे आवंटन राज्य सरकार/कलेक्टर/या आवंटन अधिकारी द्वारा 28.अक्टूबर.1992 के पश्चात् किया गया है। ऐसे आवंटन की तारीख से ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जायेगा।

इ- भूमि स्वामी समझे गये व्यक्ति पर भूमि स्वामी के रूप में जो कर्तव्य दायित्व अधिरोपित किये गये है, या संहिता के

अधीन किसी भूमि स्वामी को दिये गये है। उनके अध्यधीन रहेगा।

ई- एक प्रतिवंध यह लगाया गया है, कि आवंटन या पट्टे की तारीख से 10 वर्ष की कलावधि के भीतर ऐसे पट्टे या आवंटन की भूमि का अन्तरर्ण नहीं कर सकेगा।

इस संबंध में 2005 आर.एन 52, 2014 आर.एन 196, 168 में निर्धारित किया गया है, कि भूमि स्वामी को सम्पूर्ण अधिकार मान्य किये गये है, तथा अन्तरण करने से भूमि स्वामी को नहीं रोका जा सकता। उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये हे, जो विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 560/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 एवं कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 10/2011-12/अ-21(2) में पारित आदेश दिनांक 26.03.2012 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है, एवं अपीलार्थी को भूमि सर्वे नं. 20 मिन-1 रकवा 2.77 है0 एवं सर्वे नं. 5 मिन-1 रकवा 1.65 है0 कुल रकवा 4.42 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य